

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/5/21	<p>पत्रावली पैच की RO साहब/साहब का पत्र <u>18/5/21</u> दिनांक <u>18/5/21</u> का पत्र है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू</p>
	26/5/21	<p>पत्रावली पैच की RO साहब/साहब का पत्र <u>27/5/21</u> दिनांक <u>27/5/21</u> का पत्र है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू</p>
	27/5/21	<p>पत्रावली पैच की RO साहब/साहब का पत्र <u>18/5/21</u> दिनांक <u>18/5/21</u> का पत्र है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू</p>
18	9.7.21	<p>वारी/प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र पर पत्रावली पैच हुई प्रार्थी/वारी अधिवक्ता ने प्र.पत्र में विवेक किया है कि पत्रावली के मध्य भागों लघुता से राजीनामा हो जाने के कारण वाड भागों नहीं चलाना चाहिए, विज्ञापन चाहिए है प्र.पत्र खींचा कर वाड विज्ञापन (स्वाजि) किया जात है पत्रावली खसक सुना लेवा नमूदा के कर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>